मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

अनुकंपा नियुक्ति
परिपत्रक 3

क्रमांक सी-3-7/2000/3/एक भोपाल, दिनांक 23 जुलाई, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों की असामायिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति ।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 1. 5. 2000 एवं दिनांक 15. 12. 00

=:0:=

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में नये निर्देश इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 1. 5. 2000 द्वारा जारी किये गये थे । तत्पश्चात् संदर्भित ज्ञापन दिनांक 15. 12. 2000 द्वारा पूर्व ज्ञापन दिनांक 1. 5. 2000 में कुछ संशोधन किये गये थे ।

2/ विभिन्न कर्मचारी संघों से प्राप्त निवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर, राज्य शासन ने उपयुक्त ज्ञाप दिनांक 1. 5. 2000 एवं सहपठित ज्ञापन दिनांक 15. 15. 12. 2000 में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया है:-

§1§ दिनांक 1. 5. 2000 के निर्देशों में प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त केवल मृतक शासकीय सेवक की धर्म-पत्नी के मामलों में शिथिल रहेगी । इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष की छूट दी जाये ।

§2§ दिनांक 1. 5. 2000 के निर्देशों में यह प्रावधान था कि आवेदक का मध्य-प्रदेश स्थित विद्यालय से हायर सेकेण्ड्री अथवा महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, यदि किसी पद के लिए हायर सेकेण्ड्री से नीचे की योग्यता निर्धारित हो, तो आवेदक को उसकी परीक्षा भी मध्यप्रदेश के विद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मृतक शासकीय

क्रमशः-:2

सेवक की धर्मपत्नी के लिये यह शर्त लागू नहीं होगी । इसमें संशोधन कर अब यह निर्णय लिया गया है कि मृतक शासकीय कर्मी के ऐसे आश्रित को भी अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी, जिसने मध्यप्रदेश से बाहर की शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर, शैक्षणिक योग्यता धारित की हो।

§3§ दिनांक 15.12.2000 के निर्देशों में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक/आवेदिका द्वारा धारित योग्यता के आधार पर सीधी भरती के निम्नतर पद यथा सहायक ग्रेड-3, शिक्षा कर्मी, वार्डबॉय, वनरक्षक आदि तथा भृत्य अथवा उसके समकक्षीय चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही दी जा सकेगी, परन्तु तृतीय श्रेणी का निम्नतर पद कार्यपालन श्रेणी का नहीं होगा । इसमें आंशिक संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक/आवेदिका द्वारा धारित योग्यता के आधार पर सीधी भरती के निम्नतर पद यथा सहायक ग्रेड-3, शिक्षा कर्मी, वार्डबॉय, वनरक्षक पटवारी, तथा भृत्य अथवा उसके समकक्षीय चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही दी जा सकेगी किंतु तृतीय श्रेणी के किसी अन्य कार्यपालक श्रेणी के पद पर नहीं दी जा सकेगी ।

§4§ दिनांक 15.12.2000 के निर्देशों में यह प्रावधान था कि यदि मृत शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से पांच वर्ष तक रिक्त पद उपलब्ध नहीं हुआ तो अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता समाप्त हो जायेगी । इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक की मृत्यु के सात वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर, उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

§5§ दिनांक 1.5.2000 के निर्देशों में यह प्रावधान था कि मृतक शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य§ धर्मपत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/ऐसी पुत्री जिसके पति की मृत्यु होगई हो§ जो मृतकशासकीय सेवक के साथ, रहती हो तथा उस पर पूर्णतः आश्रित हो, को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान न हो, तो उसकी दत्तक संतान को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी । साथ ही, मृतक शासकीय सेवक के साथ रहने वाली एवं उस पर पूर्णतः आश्रित ऐसी तलाकशुदा पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी, जो मृतक शासकीय सेवक की एकमात्र संतान हो ।

क्रमशः-3

§6§ यह भी निर्णय लिया गया है कि सांप्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी ।

§7§ इस विभाग के निर्देश दिनांक 1.5.2000 के अंतर्गत विहित अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया की कंडिका-2 में यह प्रावधान था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा, जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो, परन्तु ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसे विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रावधान को विलोपित किया जावे अर्थात् अनुकम्पा नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होगा ।

/3/ ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण भी, इन्हीं निर्देशों के तहत् किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-

§डी0एल0माथुर§
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
भोपाल-462004

पृ0क्र0/स्था/एफ/2001/1485 भोपाल, दिनांक 3/8/01

प्रतिलिपि:-

1/- प्राचार्य, समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थाऐं, म0प्र0 ।

2/- सचिव, म0प्र0 तकनीकी शिक्षा मण्डल, भोपाल ।

3/- संचालनालय के समस्त अधिकारी एवं समस्त उपविभाग ।

4/- संचालक जी के वरिष्ठ निज सहायक ।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

जुही/1.8.01